भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2444
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

टेली-लॉः रीचिंग द अनरीच्ड योजना

2444. श्री बाबू सिंह कुशवाहा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017 में आरंभ की गई 'टेली-लॉः रीचिंग द अनरीच्ड' योजना के उद्देश्य क्या हैं तथा यह योजना मुकदमे से पहले निःशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान करने में किस प्रकार सहायक है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जौनपुर और मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान में कितने सामान्य सेवा केन्द्र कार्यरत हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितने लाभार्थियों को वीडियो/टेलीफोन/मोबाइल ऐप के माध्यम से कानूनी सलाह प्रदान की गई है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत जौनपुर-मछलीशहर जैसे ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा गरीब एवं वंचित वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधानों का निर्माण (डिशा) **स्कीम** के अंतर्गत, टेली-लॉ कार्यक्रम नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर उद्यमियों (व्ही एल ई) द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्रों (सी एस एस) पर उपलब्ध दृश्य दूरसंलाप / टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं, टेली-लॉ मोबाइल ऐप और टोल-फ्री संख्या 14454 के माध्यम से वाद पूर्व सलाह प्रदान की जा सके।

टेली-लॉ कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2024 से देश भर के लगभग 500 आकांक्षी प्रखंडों में न्याय सहायकों की नियुक्ति की गई है, ताकि नागरिकों को टेली-लॉ कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक सलाह प्राप्त करने हेतु घर-घर विधिक सेवा सहायता प्रदान की जा सके, टेली-लॉ प्लेटफॉर्म पर मामलों के पंजीकरण में सुविधा दी जा सके, तथा

हिताधिकारियों और सूचीकृत (पैनल) वकीलों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया जा सके। न्याय सहायक देश के आकांक्षी प्रखंडों में सामुदायिक संवाददाताओं के रूप में सक्रिय हैं। वे घर-घर जनसंपर्क / पहुँच, सामुदायिक संवाद और स्थानीय अभियानों के माध्यम से विधिक अधिकार और हकदारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

देशभर के 36 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में फैले 776 ज़िलों (जिसमें 112 आकांक्षी ज़िले और 500 आकांक्षी प्रखंड शामिल हैं) में 2,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से, टेली-लॉ कार्यक्रम ने 31.01.2026 तक हिताधिकारियों को 1.12 करोड़ से अधिक मुकदमा पूर्व सलाह प्रदान की है।

31 जनवरी 2026 को यथाविद्यमान टेली-लॉ कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के जौनपुर और मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः 800 और 51 सामान्य सेवा केंद्र कार्यरत हैं। पिछले तीन वर्षों में 31 जनवरी, 2026 तक वीडियो/टेलीफोन/मोबाइल ऐप के माध्यम से जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र में 7,527 हिताधिकारियों को वीडियो/टेलीफोन/मोबाइल ऐप के माध्यम से मुकदमा पूर्व सलाह प्रदान की गई और मछलीशहर निर्वाचन क्षेत्र में 140 सलाह दिये गए।

सरकार ने समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों, जिनमें महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य शामिल हैं, तक स्कीम की पहुँच बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। टेली-लॉ कार्यक्रम के अंतर्गत मुकदमा पूर्व सलाह अनेक भाषाओं में प्रदान की जाती है। हिताधिकारियों तक स्कीम की पहुँच को सुगम बनाने हेतु समय-समय पर राष्ट्रीय वेबिनार और क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

स्कीम की पहुँच बढ़ाने के लिए, टेली-लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ ऐप का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा, टेली-लॉ प्लेटफॉर्म को न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएँ) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, जिससे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र हिताधिकारियों को न्यायालयों में विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सुविधा हो सके।

*****